(10)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल 23 मार्च 2010

क्रमांक/ डी–7/10/08/14–3 —राज्य शासन, एतद् द्वारा, किसानों को कृषि कार्य हेतु उन्नत कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने के लिये, निम्न मशीनों की किराया दरें, इनकी पूर्व में प्रसारित किराया दरों को अधिकमित करते हुए, निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

(क) कम्बाईन – हार्वेस्टर (ट्रेक टाईप) – रूपये 1000/– प्रतिघंटा

(ख) रीपर – कम – बाइन्डर – रूपये 650/– प्रतिघंटा

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23/3/10
(एस.एस. ठाकुर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/ डी–7/10/08/14–3 भोपाल 23 मार्च 2010

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री ,मध्यप्रदेश शासन,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री ,मध्यप्रदेश शासन,किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को सूचनार्थ ।
5. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. कलेक्टर जिला................................(समस्त)
7. संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ———(समस्त)
8. कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री संभाग................................(समस्त)
9. उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ———(समस्त)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

23/3/10
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय 6381 29-9-14

भोपाल दिनांक 25/9/14

क्रमांक डी–7/2/2014/14–3 मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम 1972 (क्रमांक–9 सन्1973) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
" 7 ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान–ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नानुसार होगा :–

(क) **समस्त कृषि कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्हील टाईप ट्रेक्टरों द्वारा किया जाना हो (इनमें परिवहन सम्मिलित नहीं है) :–**

1	40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रेक्टर	रू. 350/– प्रतिघंटे
2	41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर	रू. 500/– प्रतिघंटे

(ख) **परिवहन कार्य :–**

1	40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रेक्टर	रू. 10/– प्रति किलोमीटर
2	41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर	रू. 15/– प्रति किलोमीटर

2. यह संशोधन 1 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.एस. धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक डी–7/2/2014/14–3 भोपाल दिनांक 25/9/14

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25/9/14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकरण से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उप सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक डी-7/2/2014/14-3 भोपाल दिनांक 25-9- ~~अगस्त~~, 2014

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित । कृपया अधिसूचना की 200 प्रतियां कार्यालयीन उपयोगार्थ प्रदाय करें।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग/जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक, क़िसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
क़िसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्र/तक/किडी/8/2014-15/ [illegible] भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री (समस्त)

2. सहायक कृषि यंत्री (समस्त)

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF FARMERS WELFARE AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 25-9-14

No. D-7/2/2014/14-3 In exercise of powers conferred by section 7 of the Madhya Pradesh Tractor dwara kheti (prabharo ki vasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973), the state government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Tractor dwara kheti (prabharo ki vasuli) Adhiniyam, 1981] namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-
"7. Scale of Tractor Cultivation Charges, The scale of Tractor Cultivation charges shall be as follows :-

(a) **All the agricultural works which are to be performed using tractor of different horsepower. (It does not include transportation)**

1.	Tractors upto 40 horespower	Rs. 350/- per hour
2.	Tractors of 41 horsepower or above	Rs. 500/- per hour

(b) Transportation Works

1.	Wheel Type Tractors upto 40 horespower	Rs. 10/- per hour
2.	Wheel Type Tractors 41 horsepower or above	Rs. 15/- per hour

2. This amendment shall come in to force with effect from 1st October 2014.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(B.S Dhurve)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Deptt. of Farmer Welfare and Agriculture Development

पृष्ठांकन क्रमांक डी–7 / 2 / 2014 / 14-3

भोपाल दिनांक 25-9-14

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया अधिसूचना की 200 प्रतियां कार्यालयीन उपयोगार्थ प्रदाय करें।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग / जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्य प्रदेश भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग